कार्यालयः प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फैजाबाद

पत्रांकःडायट / वि0बी0टी0सी0–08(वि0च0) / 3090–94 / 2009–10 दिनांकः 07.11.2009

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2008 (विशेष चयन) के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेश सं0–1186 / 15–11–2008 दिनांक 14 नवम्बर 2008 एवं मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के प्रति प्रकाशित विज्ञप्तियों के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों में अंकित विवरण के आधार पर जनपद–फैजाबाद हेतु निर्धारित अनुसूचित जाति 139 एवं अनुसूचित जन जाति 31 सीटों के सापेक्ष तृतीय जॉच सूची के जाँचोपरान्त समस्त अर्ह उपस्थित अभ्यर्थियों की वरीयता क्रम में चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची तैयार कर अवरोही क्रम में निर्गत कर दी गयी है। सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान / जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है। 'चतुर्थ अनन्तिम सूची वेबसाइट' पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थी **Website–http://www.faizabad.nic.in के Home page पर बने, Link '4th Interim List** चतुर्थ अनन्तिम सूची' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते है। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी **रू0 10 /– के नॉन जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर अपने रंगीन फोटो (जो नोटरी से प्रमाणित हो) के साथ** निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र (संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध) एवं अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण / विशेष आरक्षण / शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पार्सपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांकः 16 एवं 17.11.2009 को प्रातः 10.00 बजे संस्थान में उपस्थित हों।

चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची की कट ऑफ मेरिट का विवरण

वर्ग	शिक्षा मित्रों से भिन्न				शिक्षा मित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
अनुसूचित जाति	194.04–176.58	....	220.00–218.41	187.91–171.77	....	....
अनु0 जनजाति	....	....	....	....	....	....

विशेष आरक्षण	महिला	पुरूष
चलन बाधित–07	....	215.60–212.02

- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुये वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नही किया जायेगा।
- जारी की गई चतुर्थ अनन्तिम चयन सूची मा. उच्च न्यायालय / मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि संज्ञान के अधीन होगी।

(विमला शास्त्री)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
फैजाबाद।